बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./आवारा श्वान/2021/ 6120 - 6125 19 जुलाई ~~जून~~, **2021**

–: ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या 05 (वर्ष 2021–22) :–

बीकानेर शहर को रेबीज मुक्त करने के उद्‌देश्य से नगर निगम बीकानेर की सीमा से आवारा श्वानो (नर–मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोडने का कार्य कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्ते निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org तथा पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 10-08-21 अपलोड करने की अंतिम दिनांक 11-08-21 तकनिकी बिड खोलने की दिनांक 13-08-21 है। निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध है। तकनीकि बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत – 120 लाख

(ए.एच. गौरी)RAS
आयुक्त

क्रमांक/स्वा./आवारा श्वान/2021/ 6120 - 6125 19 जुलाई ~~जून~~, **2021**

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार विक्रय तिथि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय अंग्रेजी मुख्य दैनिक समाचार पत्र दिल्ली एवं जयपुर संस्करण में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर को सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा नगर निगम बीकानेर को भेज कर लेख है कि निविदा को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवावे।
5. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(ए.एच. गौरी)RAS
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./आवारा श्वान/2021/ 6126-6131 19 **जुलाई, 2021**

–: ई–टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या 05 (वर्ष 2021–22) :–

बीकानेर शहर को रेबीज मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम बीकानेर की सीमा से आवारा श्वानो (नर–मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोडने का कार्य कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम व शर्ते निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org तथा पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध है तकनीकि बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

कार्य की अनुमानित लागत – 120 लाख

निविदा प्रपत्र शुल्क – 1000/- रूपये (ऑनलाईन)

ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क – 1000/– रूपये (ऑनलाईन)

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक – 10-08-2021 शाम 6:00 बजे तक

निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक – 11-08-2021 शाम 6:00 बजे तक

तकनिकी बिड खोलने की दिनांक – 13-08-2021 शाम 04:00 बजे तक

सफल निविदादाताओं की ही वितीय बिड खोली जावेगी। सभी दस्तावेज ऑनलाईन ही अपलोड करने अनिवार्य है।

(ए.एच. गौरी)RAS
आयुक्त

क्रमांक/स्वा./आवारा श्वान/2021/ 6126-6131 19 **जुलाई, 2021**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय महापौर महोदया, बीकानेर नगर निगम।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर को सूचनार्थ।
4. ओसवाल डाटा नगर निगम बीकानेर को भेज कर लेख है कि निविदा को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवावे।
5. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(ए.एच. गौरी)RAS
आयुक्त

बीकानेर नगर निगम

तकनीकी बिड (प्रथम भाग)

1. ई–निविदा सूचना संख्या – 05/2021–22
2. कार्य का नाम :– आवारा श्वानों (नर/मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य प्रतिदिन आवश्यकतानुसार
3. फर्म का नाम :–
4. डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 10-08-2021 6:00 PMतक
5. अपलोड करने की अंतिम तिथि : 11-08-2021 6:00 PMतक
6. तकनीकी बीड खोलने की दिनांक : 13-08-2021 11:00 AM

(http://eproc.rajasthan.gov.in)

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	निविदा शुल्क 1000/–प्रकिया शुल्क एवं 1000/– की जमा रसीदें आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी।
2	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ–पत्र (मूल)
3	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
4	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
5	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7	कार्यादेश जारी करने से पूर्व संगठन/संस्थाओ के पास वर्ष 2019–20 में बध्याकरण एवं टीकाकरण करने हेतु उन्हे रखने, ऑपरेशन थियेटर सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणो की उपलब्धता सम्बन्धित 50/– रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एन जी ओ/अन्य तत्सम्बन्धि विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। अथवा संगठन/संस्थाये सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में पंजीकृत हो अथवा पशु चिकित्सक जिन्होने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सील (आरवीसी) व वेटनेरी कॉउन्सील ऑफ इण्डिया (वीसीआई) से पंजिकृत हो
9	संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक को निविदा में भाग लेने के लिए कम से कम राजस्थान के किसी भी नगरीय निकाय में 30,000 श्वानों बंध्याकरण एवं रेबिज टिकाकरण करने के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र
10	50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र। (सलग्न प्रारूप)
11	संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक का गत तीन वर्षो में टर्न ऑवर 70 लाख रूपये का सीए द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र

उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां स्केन करके अपलोड करने एवं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

वित्तिय बिड (द्वितीय भाग)

1. ई–निविदा सूचना संख्या – 05/2021–24
2. कार्य का नाम :– आवारा श्वानों (नर/मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य प्रतिदिन आवष्यकतानुसार
3. फर्म का नाम :–

दर प्रस्ताव

आवारा श्वानों (नर/मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य	प्रति आवारा श्वान निविदा शर्तो के अनुसार समस्त करो सहित रूपये ....शब्दो में ....

उक्त दी गई दर पर कार्य तकनीकी बिड में संलग्न शर्तो अनुसार कार्य करने तथा समस्त करों एवं ईपीएफ/ईएसआई भरने आदि के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

आवारा श्वानों (नर/मादा) को पकड़ने, बंध्याकरण करने एवं रेबीज टीकाकरण कर पुनः निर्धारित स्थल पर छोड़ने का कार्य प्रतिदिन आवश्यकतानुसार निविदा सूचना संख्या 05/2021–22 की शर्ते

1. निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हे। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org. एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
2. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने से पूर्व ही निगम में नियमानुसार 2.5 प्रतिशत धरोहर राशि निगम में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा संबंधित समस्त शुल्क जैसे ई–टेण्डरिंग निविदा शुल्क 1000/– प्रक्रिया शुल्क 1000/– नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर ऑनलाईन ही जमा करना अनिवार्य होगा।
4. वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2 (1) वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के कम में बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर बिड सिक्यूटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अतः संवेदकों/फर्मो द्वारा बिड सिक्यूरिटी के स्थान पर 50/– रूपये के स्टाम्प पर संलग्न घोषणा पत्र निविदा में अपलोड कर सकता है।

प्रथम भाग :– तकनीकी बीड के साथ संलग्न किये जाने वाले पत्र नीचे क्र.स 1 से 11 तक

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1	निविदा शुल्क 1000/–प्रकिया शुल्क एवं 1000/– की जमा रसीदें आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी।
2	फर्म/संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ–पत्र।
3	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
4	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
5	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7	कार्यादेश जारी करने से पूर्व संगठन/संस्थाओ के पास वर्ष 2021–22 में बध्याकरण एवं टीकाकरण करने हेतु उन्हे रखने, ऑपरेशन थियेटर सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणो की उपलब्धता सम्बन्धित 50/– रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एन जी ओ। अथवा पशु चिकित्सक जिन्होने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सील (आरवीसी) व वेटनेरी कॉउन्सील ऑफ इण्डिया (वीसीआई) से पंजिकृत हो
9	पंजीकृत एनजीओ/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक को निविदा में भाग लेने के लिए कम से कम राजस्थान के किसी भी नगरीय निकाय में 30,000 श्वानों बंध्याकरण एवं रेबिज टिकाकरण करने के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र
10	50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र। (सलग्न प्रारूप)
11	पंजीकृत एनजीओ/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक का गत तीन वर्षो में औसत टर्न ऑवर 70 लाख रूपये का सीए द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र

द्वितीय भाग –: बिड के साथ कोई भी पत्र संलग्न नही किया जावेगा, मात्र दर भरकर प्रस्तुत करना है।

बीकानेर नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में निगम क्षेत्र में ऐनिमल बर्थ कन्ट्रोल कार्यक्रम 2001 के तहत लावारिश श्वानों का बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण कराये जाने हेतु नियम व शर्तो का विवरण निम्न प्रकार है–

1. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक बीकानेर शहर के वार्ड संख्या 1 से 80 वार्डो में काम करेगी।

2. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा अन्य संस्था को Sub-Contract and Partnership किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जावेंगी। ऐसा करने की जानकारी प्राप्त होते ही चयन निरस्त किया जा सकेगा।

3. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा निर्धारित समय पर कार्य नहीं करने, निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने की स्थिति में संस्था का चयन निरस्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार बीकानेर नगर निगम को होगा।

4. राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक Secy/LSG/07/92 दिनांक 26.04.2007 के अनुसार निम्न पालना की जानी आवश्यक है –

    (अ) बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण हेतु आवश्यक दवाईयां एवं उपकरण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें।

    (ब) योग्य एवं अनुभवी पशु चिकित्सक एवं दो प्रशिक्षित केचर की व्यवस्था संगठन/संस्था को अपने स्तर पर करनी होगी।

    (स) श्वान पकड़ने का वाहन 02 नग संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अन्यथा 500/– प्रतिदिन प्रतिवाहन शास्ति वसूल की जावेगी। इन पर वाहन चालक व डीजल आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी।

5. संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक को भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी संलग्न परिपत्र दिनांक 24.12.2001 पर सहमति हस्ताक्षर किये जाने तथा इस संबंध मे भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/जारी किये जाने वाले निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी होगी। जिसके कुछ मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है

    (अ) पकड़े गये नर, मादा, लावारिश श्वानों को खुले हवादार, प्राकृतिक रोशनी व साफ–सुथरे हाऊस मे अलग–अलग रखा जाना आवश्यक होगा।

    (ब) रेबीज श्वानों को अलग से इंसूलेशन वार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा।

    (स) लावारिश श्वानों को पकड़ने का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों द्वारा मानवीयता रखते हुए सॉफ्ट लूप सामग्री का उपयोग करते हुए किया जावे। श्वान पकड़ने व छोड़ते समय संगठन/संस्था का एक प्रतिनिधि टीम के साथ उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

    (द) पकड़े गये लावारिश श्वानों का बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण हेतु 05 दिवस तक रोका जा सकेगा। स्टे दौरान उन्हे साफ–पानी एवं पौष्टिक भोजन आदि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

    (य) पकड़े गये लावारिश श्वानों को वापिस उसी स्थान पर छोड़ा जावें, जहां से उसे पकड़ा गया था। छोड़ने से पूर्व लावारिश श्वान (बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण वाला) के बायें कान पर क्लीपिंग करना आवश्यक होगा। जिसका इन्द्राज पंजिका में होना आवश्यक है।

    (र) पकड़े गये लावारिश श्वानों का रिकॉर्ड रखने हेतु एक स्थायी रजिस्टर संधारित करना होगा जिसमें दिनांक, समय एवं श्वान को पकड़ने वाले स्कावर्ड में लगे व्यक्तियों का नाम एवं क्षेत्र का पूर्ण विवरण इन्द्राज करना होगा। अन्यथा 5000/– रूपये तक शास्ति वसूल की जावेगी।

6. बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण करने के उपरान्त लावारिश श्वान के कान पर ईयर नोचिंग किया जावेगा।

7. पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित कराई गई बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण किये गये लावारिश श्वानों की साप्ताहिक रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी।

8. चयनित संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा सात दिवस में नियमानुसार नॉन ज्यूडिश्यल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध अनिवार्य रूप से करना होगा। समय पर अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर संस्था का चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

9. निर्धारित निविदा प्रपत्र वेबसाईट WWW.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है इच्छुक संगठन/संस्थाये सोसायटी/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा ई–निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट WWW.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। तकनीकी बिड में अंकित समस्त दस्तावेज संबंधित पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने अनिवार्य होगें।

10. संगठन/संस्थाये सोसायटी/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में पंजीकृत हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा पशु चिकित्सक जिन्होने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सील (आरवीसी) व वेटनेरी कॉउन्सील ऑफ इण्डिया (वीसीआई) से पंजिकृत हो।

11. संगठन/संस्थाओ/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक के पास उपलब्ध ऑपरेशन करने एवं श्वान पकड़ने के कार्य सम्बन्धी व्यक्तियों की सूची तथा उनके दो वर्ष कार्यानुभव दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

12. संगठन/संस्थाआ/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सके के पास बध्याकरण एवं टीकाकरण करने हेतु उन्हे रखने, ऑपरेशन थियेटर, कैनल आदि सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणो की उपलब्धता संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। भुगतान बंध्याकरण श्वानो के वास्तविक संख्या के आधार पर किया जावेगा।

13. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक के पास उपलब्ध ऑपरेशन व टीकाकरण तथा श्वान पकड़ने वाले कार्मिकों/विशेषज्ञों का विवरणः–

क.सं.	कार्मिक नाम/विशेषज्ञ	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	संस्था में कब से कार्य कर रहा है।
1.	2.	3.	5.	6.

14. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन स्वच्छता निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा किया जायेगा।

15. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाऐ नही खोली जा सकती है तो उनके अगले कार्यदिवस को शेष निविदाऐ खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

16. संगठन/संस्थाओ/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा प्रत्येक माह का बिल उपायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक/प्रभारी स्वच्छता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य शाखा द्वारा संधारित अभिलेख अनुसार सत्यापन की जांच कर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

17. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा किये गये श्वानो नर/मादा के ऑपरेशन से निकाले गये जननांगो को सुरक्षित रखना होगा। जो प्रत्येक माह की 1 तारीख से 5 तारीख तक राजकीय पशु चिकित्सक द्वारा गणना करने के पश्चात् बायोवेस्ट संस्था को सुपुर्द कर निस्तारण करना होगा तथा फोटो मय राजकीय पशु चिकित्सक की प्रमाणित रिपोर्ट निगम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। समस्त निविदा शर्तो की पालना करना अनिवार्य होगा। श्वानों की संख्या में कमी अथवा वृद्वि हो सकती है।

19. श्वानों को पकड़ने, बंध्याकरण करने तथा टिकाकरण कार्य करते समय "पशु क्रुरता नियम" का पालन करना होगा, अन्यथा 5000/– प्रतिश्वान शास्ति आरोपित की जावेगी तथा संबंधित नियमों के तहत कार्यवाही की जावगी।

20. कार्य आदेश प्राप्ति होने के 07 दिवस में निविदा दाता को निविदा शर्तो के अनुरूप कार्य शुरू करना होगा। नियमानुसार सफल निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर नॉन ज्यूजिडशियल स्टाम्प पर कय कर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

21. निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष तक के लिये मान्य होगी । निविदा अवधि समाप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगामी निविदा सम्पन्न नहीं होनें तक इसी दर पर बढ़ाई जा सकती है । इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

22. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानता एवं सुरक्षित धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी ।

23. RTTP एक्ट 2012/नियम 2013 की समस्त प्रावधान लागू होगें।

24. संस्था/रजिस्टर्ड प्राईवेट वेटनरी चिकित्सक द्वारा कार्य करने में असफल तथा कार्य सन्तोष जनक रूप से सम्पादित नहीं करने पर निगम अन्य संस्था से कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगी जिसकी रिस्क एण्ड कॉस्ट की वसूली संस्था के बकाया बिलो से जावेगी तथा संस्था की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।

25. सफल निविदादाता के द्वारा ही उपरोक्त कार्य की सम्पूर्ण विडियोग्राफी/फोटोग्राफी स्वयं के खर्चे पर की जानी अनिवार्य होगी जो कि प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी, इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।
26. सफल निविदादाता श्रम अधिनियमो/उप नियमो की पालना करनी होगी, तथा न्यून्तम मजदूरी अधिनियम की पालना करनी होगी। राज्य सरकार/केंन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के जीएसटी, अन्य ईत्यादि कर चुकाने की जुम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी।
27. ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादता की ही होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह का बकाया होगा तो उसकी भी समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। इसके लिए निगम किसी भी तरह से उतरदायी नहीं होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई जमा राशि के चालान श्रमिकों के नाम सहित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
28. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी ।
29. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है। इसके लिए निगम कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।
30. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् अगर निविदादाता कार्य करने में असफल रहता है तथा कार्य संतोषजनक रूप से संपादित नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा पुनः निविदा में भाग लेने विवर्जित हो जायेगा।
31. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी ।
32. निविदा में किसी भी तहर का विवाद होने पर अंतिम निर्णय नगर निगम का मान्य होगा।
33. निविदा एवं निविदा शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा ।

स्वास्थ्य अधिकारी	सहायक अभियंता (यांत्रिक)	मुख्य लेखाधिकारी	उप–विधि परामर्शी	उपायुक्त

शपथ–पत्र

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :---

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

शपथग्रहिता